3/7/25 पुकार पेश हुई प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी को न्यायालय हाजिर होने हेतु बार-2 आवाज लगवाई गई तदुपरांत कोई उप० नहीं। चूंकि दावा भी इस हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है अतः प्रार्थना पत्र 212 आदेश 9 का कोई औचित्य बोध नहीं रहता है। प्रार्थना पत्र अदम पैरवी पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली शुमार हो, नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:19:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner